न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

विविध प्रकरण क्रमांक 2060/तीन/11 विरूध्द आदेश दिनांक 12/10/2011 एवं 22-10-2011 पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 50 एवं 864/बी 121/10-11

विमला देवी पुत्री फद्दी लाल ब्राह्मण,

साकिन - ग्राम खजुराहो, तह राजनगर, ज़ि छतरपुर

... आवेदिका

विरुद्ध

मप्र शासन. ... अनावेदक

अधिवक्ता आवेदक - श्री नितेंद्र सिंघई

अधिवक्ता अनावेदक - शासकीय अधिवक्ता

आ दे श

(आज दिनांक 10/3/16 को पारित)

यह प्रकरण अपर आयुक्त, सागर द्वारा आवेदिका के रेस्टोरेशन आवेदन को अस्वीकार किये जाने के आक्षेपित आदेश दि १२-११-१२, तथा अपर आयुक्त के ही पुनर्विलोकन आदेश दि २२-१०-११ द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन अग्राह्य किये जाने के विरुद्ध, रा मं में दायर है.

मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.

अपर आयुक्त ने अपने आदेश दि १२-१०-११ में रेस्टोरेशन आवेदन दि ३०-९-११ अस्वीकार करने के कारण यह लिए हैं कि प्रकरण आवेदिका की अनुपस्थिति की वजह से अदम पैरवी में ख़ारिज हुआ था, आवेदिका ने बीमारी का कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया, उसके पूर्व अधिवक्ता ने अन्य न्यायालय में व्यस्त होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया, और पुनर्स्थापन का आवेदन भी २८ दिन बाद प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से पुनर्स्थापन के कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं.

अपर आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध आवेदिका ने उन ही के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन इस आधार पर लगाया कि उसने रेस्टोरेशन आवेदन २८ दिवस में प्रस्तुत कर दिया था, जो कि ३० दिवस की समय सीमा के भीतर है, अतः अपर आयुक्त को उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए था. अपर आयुक्त ने उनके आदेश दि २२-१०-११ में पुनर्विलोकन आवेदन अग्राह्य करने के कारण यह लिए हैं कि वे समय सीमा के बिंदु पर रेस्टोरेशन आवेदन अस्वीकार किये जाने के आवेदिका के तर्क से सहमत नहीं हैं. उन्होंने उसे इसलिए अस्वीकार किया था क्योंकि आवेदिका ने अपनी बीमारी के कारण के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये थे. साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि पुनर्विलोकन एक पृथक प्रक्रिया है, उसके साथ प्रश्नगत आदेश की सत्यप्रति पेश की जानी चाहिए थी, जो न तो संलग्न है और न ही उसकी छूट के लिए आवेदन प्रस्तुत है.

तर्क एवं मेमो में आवेदिका की ओर से यह कहा गया है कि प्रकरण जिस दिनांक को अदम पैरवी में ख़ारिज किया गया है उस दिनांक की पेशी पीठासीन अधिकारी ने स्वयं नहीं दी थी बल्कि प्रवाचक ने दि २-९-११ को दी थी. अदम पैरवी में ख़ारिज जिस दिनांक को किया जाए उस दिनांक की पेशी पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं दी जानी आवश्यक थी, उसे प्रवाचक द्वारा दिया जाना पर्याप्त नहीं था. अपर आयुक्त ने आवेदिका के इस तर्क पर कोई विचार एवं विश्लेषण नहीं किया है. आवेदिका का यह भी तर्क है कि पुनर्स्थापन आवेदन केवल २८ दिन में प्रस्तुत कर दिया गया था, जो कि ३० दिवस की समयावधि के भीतर था, उसके बावजूद उसे मान्य नहीं किया जाना अनुपयुक्त है. साथ ही यह भी कि आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति केवल एक-दो पेशी पर ही थी, उस के बावजूद अदम पैरवी में प्रकरण ख़ारिज किया जाना और केवल

तकनीकी कारणों का आधार लेते हुए, रेस्टोरेशन और पुनर्विलोकन दोनों आवेदनों के बावजूद, रिस्टोर नहीं किया जाना, न्यायोचित नहीं है.

प्रकरण में मैं विचारोपरांत यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त द्वारा दो बार प्रमुखतः तकनीकी कारणों का आधार लेकर अनावेदिका को न्यायिक सुनवाई का अवसर देने से इंकार किया गया है. उन्होंने अपने १२ और २२-१०-११ के आदेशों में आवेदकपक्ष के इस बिंदु का कोई विश्लेषण नहीं किया है कि दि २-९-११ को यदि उनके प्रवाचक ने, ना कि उन्होंने स्वयं, अगली पेशी दी थी तो उन्होंने कम से कम एक पेशी पर आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति स्वयं अपनी न्यायालयीन उपस्थिति में क्यों नही आदेश पत्रिका पर अभिलिखित करके उसके आगे की किसी पेशी पर अदम पैरवी में प्रकरण ख़ारिज किया जाने पर विचार किया जाना आवश्यक समझा. उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति लगातार कितनी बार हुई थी जिसके चलते उन्होंने अदम पैरवी में प्रकरण ख़ारिज करने का निर्णय लिया और पुनर्स्थापन और पुनर्विलोकन दोनों आवेदनों को ख़ारिज किया. इसी प्रकार यदि अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्तता के चलते किसी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे तो पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिवक्ता की गलती की वजह से पक्षकार के हितों की अनदेखी कर उसे नुकसान कारित किया जाना स्वीकार योग्य नहीं है.

दूसरी ओर यह भी सही है कि आवेदक पक्ष को बीमारी का ठोस आधार, जैसे कि चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, पेश करना चाहिए था, किन्तु केवल २८ दिवस में रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत होने और ऊपर लिखे जा चुके बिन्दुओं के प्रकाश में, मैं इस आधार को पक्षकार को न्याय से वंचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं मानता हूँ.

परन्तु, उपरोक्त सभी बातों के बाद, पूरी नस्ती का परिशीलन करने से मैं कहीं भी, न तो अपर आयुक्त को दिए गए पुनर्स्थापन और पुनर्विलोकन आवेदनों में और ना ही रा मं के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो में, आवेदकपक्ष की ओर से यह लिखा हुआ पाता हूँ कि जिस प्रकरण को अदम पैरवी में ख़ारिज किया गया था उस का प्रकरण क्रमांक क्या था, और उसका पूरा उन्वान (उसमें दोनों पक्षों के पक्षकारों के नाम) आदि क्या थे. आवेदिका या उसके अधिवक्ता ने, न तो

अपर आयुक्त को दिए गए पुनर्स्थापन और पुनर्विलोकन आवेदनों में और ना ही रा मं के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो में, ना तो इन डिटेल्स का कुछ भी खुलासा किया है और ना ही कहीं भी अदम पैरवी में खारिजा आदेश की प्रति संलग्न की है. यह आश्चर्य की बात है कि अपर आयुक्त ने भी, ना तो पुनर्स्थापन के आवेदन पर विचार के समय और ना ही पुनर्विलोकन के समय, इस बिंदु को पॉइंट आउट किया है कि यदि वे पुनर्स्थापन करें तो किस प्रकरण का (पुनर्स्थापन) करेंगे क्योंकि आवेदिका और उसके अधिवक्ता ने कहिज प्रकरण की कोई डिटेल्स या खरिजे के आदेश की प्रति उपलब्ध कराई ही नहीं है. अपर आयुक्त ने पुनर्विलोकन आदेश में यह तो लिखा है कि पुनर्विलोकन में आक्षेपित आदेश की प्रति संलग्न नहीं है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं निकला जा सकता कि उनका आशय खारिजा आदेश की प्रति से यहाँ था और पुनर्स्थापन आवेदन के निरस्तीकरण के आदेश की प्रति से नहीं था.

बहरहाल, प्रकरण में इस लम्बी विवेचना के उपरांत मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि जहां एक ओर अपर आयुक्त ने प्रत्यक्षतः केवल तकनीकी आधार लेकर, और संभवतः अपना न्यायालयीन बोझ कम करने के दृष्टिकोण से भी, आवेदकपक्ष का प्रकरण ना सिर्फ अदम पैरवी में ख़ारिज किया बल्कि उसके पुनर्स्थापन और पुनर्विलोकन आवेदनों को भी अस्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर आवेदिका और उसके अधिवक्ता भी पूर्णतः सही तरीके से इस एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनर्स्थापन, पुनर्विलोकन और निगरानी में नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने भी खारिज प्रकरण की कोई डिटेल्स या खारिजा आदेश की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रति कहीं भी प्रस्तुत नहीं की है.

अतः, मैं यह प्रकरण रा मं से अपर आयुक्त, सागर को यह निर्देश देते हुए समाप्त करता हूँ कि वे आवेदिका को एक और अवसर अपने समक्ष यह स्पष्ट करने के लिए दें कि ख़ारिज प्रकरण के डिटेल्स क्या थे. यदि आवेदिका यह डिटेल्स खारिजा आदेश की प्रति के साथ उपलब्ध करा देती है तो वे उक्त ख़ारिज प्रकरण को पुनः अपने न्यायालय में उसी नंबर पर स्थापित करके आवेदिका को उसमे आगे सुनवाई का अवसर दें. दूसरी ओर यदि आवेदिका यह डिटेल्स उपलब्ध करा देती है किन्तु खारिजा आदेश की प्रति नहीं उपलब्ध करा पाती, तो भी, क्योंकि वह आदेश

अपर आयुक्त के स्वयं के द्वारा ही पारित था, इसलिए अपर आयुक्त उन डिटेल्स के प्रकाश में उस ख़ारिज प्रकरण को अपने न्यायालयीन अभिलेख से निकालने का न्यायहित में प्रयास करें और उपलब्ध हो जाने की स्थिति में उसे पुनर्स्थापित कर आवेदिका को उस प्रकरण में गुणदोष पर आगे सुनवाई का अवसर प्रदान करें. यदि समस्त प्रयासों के बावजूद ख़ारिज हुए प्रकरण के डिटेल्स नहीं मिलें और वह प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय को भौतिक रूप से भी नहीं मिले, क्योंकि आवेदकपक्ष ने उसके कोई डिटेल्स या कोई प्रति अभी तक नहीं दी है, तो उस प्रकरण का खारिजा यथावत रहेगा. अपर आयुक्त ख़ारिज प्रकरण के डिटेल्स और वह प्रकरण भौतिक रूप से प्राप्त होने या नहीं होने के सम्बन्ध में, स्पष्ट और बोलते स्वरुप का आदेश, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ३ माह के भीतर, अनिवार्य रूप से पारित करें. तब तक के लिए अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि १२-१०-११ एवं २२-१०-११ प्रभावहीन किये जाते हैं.

उपरोक्त निर्देशों के साथ ही, मैं अपर आयुक्त को यहाँ यह निर्देश देना भी उपयुक्त समझता हूँ कि केवल तकनीकी बिंदुओं पर पक्षकारों को न्यायिक विचारण से वंचित करना न्यायोचित नहीं है, अतः वे भविष्य में ऐसा करने से यथासंभव refrain करें.

इन सब बातों के बाद मुझे आवेदिका, और विशेषकर उसके अधिवक्ता से, यह कहना है कि भविष्य में कभी भी इस या अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के समक्ष कोई आवेदन लगाने के पूर्व उस आवेदन की आधारभूत पूर्णता होना वे आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि न्यायालयों का बहुमूल्य समय ज़ाया होने की सम्भावना उत्पन्न नहीं हो. इस प्रकरण में तीन बार उनकी ओर से आवेदन लगे - पुनर्स्थापन में, फिर पुनर्विलोकन में, और फिर रा मं के समक्ष निगरानी में. और इन तीनों आवेदनों में आवेदिका या उसके विद्वान अधिवक्ता ने खारिज प्रकरण की डिटेल्स लिखना और खारिजा आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक नहीं समझा. ना ही उन्हें ना बताने और ना संलग्न करने का कोई कारण बताया. यह न सिर्फ अनुपयुक्त है, बल्कि यह काफी हद तक लापरवाही का द्योतक भी है और यह इस बात को भी इंगित करता है कि आवेदिका और उसके अधिवक्ता राजस्व मंडल तक के सभी राजस्व न्यायालयों की व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं

को समुचित गंभीरता से नहीं ले रहे, उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे, उनके प्रति अपेक्षित सावधानी नहीं बरत रहे, और उन्हें casually ले रहे हैं, जो कि उपयुक्त और स्वीकार्य नहीं है.

इसी के साथ मैं आवेदकपक्ष को यह निर्देश भी देता हूँ कि वे, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम १५ दिवस के भीतर या अपर आयुक्त से नोटिस प्राप्त होने पर उसमे लिखि तिथि पर, जो भी पहले हो, अपर आयुक्त के समक्ष ख़ारिज प्रकरण की डिटेल्स और खारिजा आदेश की प्रति उपलब्ध कराने, या उनके सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्यतः उपस्थित हों. यदि वे ऐसा नहीं करते तो अपर आयुक्त, उन्हें आवश्यक अवसर देने के बाद, प्रकरण में आगे योग्य निर्णय लेने हेतु मुक्त होंगे.

अपर आयुक्त, सागर और आवेदिका और उसके विद्वान अधिवक्ता को ऊपर लिखे जा चुके निर्देशों के साथ मैं यह प्रकरण रा मं से समाप्त करता हूँ.

आदेश पारित.

आवेदिका, उसके अधिवक्ता एवं अपर आयुक्त, सागर सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर